MOONGIPA
SECURITIES LTD.

February 03, 2021

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith **Copy of Newspaper advertisement** of the Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020 publish in 'Mahalaxmi Bhagyoday' (Hindi) & 'Money Makers' (English) dated February 03, 2021.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For **Moongipa Securities Limited**

MOONGIPA SECURITIES LTD.

Sanjeev

Sanjeev Jain
Company Secretary and Compliance Officer

(CIN : L74899DL1994PLC057941)
Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 011-41450121
E-mail : moongipas@gmail.com, Website : www.moongipa.net

AAP Govt criticises 'meagre' allocation for Delhi in Union budget 2021

MM BUREAU

New Delhi/February 02

The Aam Aadmi Party government in Delhi on Monday criticised the Union Budget for poor fiscal devolution as it claimed that Delhi got a "megre" ₹957 crore, adding that the Central government's policies will only benefit "big companies" and cause inflation.

Comparing the Central grant to Delhi with other Union Territories that have an assembly, Delhi finance minister Manish Sisodia said that the Centre did not grant any funds to the three Bharatiya Janata Party (BJP)-ruled municipal corporations in Delhi to help them tide over a financial crisis.

"The union territory of Jammu and Kashmir, which is constitutionally on similar a footing with the NCT of Delhi, has been provided a grant of ₹30,757 crore compared to ₹957 crore to Delhi. There are three UTs with a legislature in India, and of them Delhi gets the least grant in absolute terms and ridiculously low amount in terms of per capita grant from the government of India," Sisodia said in a statement.

Last year, Delhi was provided the same amount of ₹325 crore as it share in central taxes.

Delhi chief minister Arvind Kejriwal said the budget will lead to price rise across the country. "This budget will benefit to a few big companies. It will lead to price rise and more problems to the people," Kejriwal tweeted in

Hindi hours after the budget was announced.

Sisodia criticised the BJP-led central government for not helping Delhi's municipal corporations. "The BJP government at the Centre did not even give a single penny to the BJP-ruled MCDs, while it has given ₹2 lakh crore to other municipal corporations across the country. During the last MCD election in Delhi, BJP had said they will bring the money directly from the Centre to the MCD," Sisodia said.

Slamming the Budget proposals and allocations, the deputy chief minister said the budget "completely bypasses" the education and health sectors, and "spells only doom" for the poor, middle class and farmers. At a time when there is farmer agitation happening all over the country, the agriculture budget has also been reduced, he said.

The Union Budget has shockingly reduced the spending on education by 6% compared to last fiscal. It seems no lesson has been learnt from the coronavirus pandemic. History tells us that be it a family or the country, only those who invest in the education of their children become 'atmanirbhar' (self-reliant). Reducing expenditure on education by ₹6,000 crore shows that the call for Atmanirbhar Bharat was merely a joke," Sisodia said.

The Central government has decreased the allocation for the ministry of education by 6.13%. According to the finance minister's speech, for 2021-22 a total amount of ₹93,224 crore will be allocated to the education ministry. In 2020-21, the budget estimate for the ministry was ₹99,312 crore, which was revised to ₹85,089 crore.

Delhi BJP president Adesh Gupta said the Union budget will help in making India self-reliant in every field. "Special care has been taken in the budget about the health of the common man. Apart from this, soon people will start getting benefits of one nation, one ration card in the country. The expansion of rail and road corridors will boot the country's infrastructure," said Gupta.

> Comparing the Central grant to Delhi with other Union Territories that have an assembly, Delhi finance minister Manish Sisodia said that the Centre did not grant any funds to the three Bharatiya Janata Party (BJP)-ruled municipal corporations in Delhi to help them tide over a financial crisis."The union territory of Jammu and Kashmir, which is constitutionally on similar a footing with the NCT of Delhi.

No illegal detention of farmers after Republic Day violence: Delhi Police

MM BUREAU

New Delhi/February 02

The Delhi Police said on Monday they have not detained anyone illegally in connection with the violence that broke out in the national capital during the farmers' tractor rally on Republic Day and added they are investigating the case in a fair and transparent manner. The police said they have lodged 44 first information reports (FIRs) and arrested 122 people in connection with the violence.

"Delhi Police have filed 44 FIRs and arrested 122 people in connection with the farmers' protest. We have provided the information on our website, anyone can see it. Police have not detained anyone illegally. I appeal to people not to pay heed to rumours," Delhi Police's

spokesperson Eish Singhal was quoted as saying by Media. The police also tweeted that rumours were also being spread that many farmers went missing post the January 26 mayhem. One person died and nearly 400 police personnel were injured and 30 police vehicles were damaged during the tractor rally last week. Earlier, a Public Interest Litigation (PIL) was filed before Delhi High Court which sought the release of all farmers and others illegally detained by the police on or before January 26, according to a report by livelaw.in. The petitioner, a law student who filed the plea through advocates Ashima Mandla and Mandakini Singh, termed the detention as a violation of Articles 14, 21, 22 of the Constitution of India, the report added.

The protests against the Centre's three farm laws entered day 68 on Monday. Security remained tightened at Singhu, Tikri and Ghazipur border points with additional security personnel deployed amid fears of more farmers entering the national capital from states such as Punjab, Uttar Pradesh and Haryana.

The Union home ministry on Monday had extended the temporary suspension of internet services in these border points till Tuesday adding that this was done to maintain public safety and to avert public emergency.

> "Delhi Police have filed 44 FIRs and arrested 122 people in connection with the farmers' protest. We have provided the information on our website, anyone can see it. Police have not detained anyone illegally. I appeal to people not to pay heed to rumours," Delhi Police's spokesperson Eish Singhal was quoted as saying by Media.

"In exercise of the power conferred under Sub-rule 1 of Rule 2 of the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) rules 2017 and in the interest of maintaining public safety and averting public emergency, it is necessary and expedient to order the temporary suspension of Internet services in the areas of Singhu, Ghazipur, and Tikri and their adjoining areas in the NCT of Delhi from 23:00 Hours on January 31 to 23:00 Hours on February 2," an order issued by the ministry read.

Delhi AQI very poor; temperature likely to rise over next 3 days

Our Correspondent/New Delhi/February 02

Delhi air quality on Tuesday was recorded in the very poor category with the hourly average air quality index (AQI) at 353.Central Pollution Control Board (CPCB) data shows that the overall AQI of Delhi on Monday was a notch better at 352, also in the very poor zone. India Meteorological Department (IMD) has forecast that the temperatures are expected to increase in the coming three days. The forecast said that the minimum temperature in Delhi is likely to be around 6 degrees Celsius. The National Capital Region didn't fare any better and air

quality deteriorated to reach severe levels in Ghaziabad, very poor in Noida, Greater Noida and Faridabad, and poor in Gurgaon, according to data issued by the CPCB on Monday. The average 24-hour AQI at 4pm on Monday was 412 in Ghaziabad, 369 in Noida, 384 in Greater Noida, 352 in Faridabad and 271 in Gurgaon, according to the CPCB's Sameer app.

Hospitals relieved as Delhi Govt reduces number of reserved Covid-19 ICU beds

New Delhi/February 02

A healthcare providers' association told the Delhi high Court on Tuesday that various private hospitals, which were earlier asked to reserve 80 per cent ICU beds for COVID-19 patients, were satisfied with the Delhi government's recent decision to reduce the number to 25 per cent. Justice Navin Chawla was informed by the counsel for the Association of Healthcare Providers that he has instructions to withdraw the petition seeking quashing of the government's September 12, 2020 order to reserve 80 per cent ICU beds for COVID-19 patients in 33 private hospitals which are its members. The high court allowed the prayer for withdrawing the petition and disposed of the plea. Advocate Sanyam Khetarpal, representing the petitioner association, said the hospitals were satisfied with the government's January 15 order by which the reservation of COVID-19 ICU beds in private hospitals here was reduced from 40 per cent to 25 per cent which have over 100 beds. The reservation percentage has been gradually reduced by the government after reviewing the pandemic situation. With the COVID-19 infection number reaching its peak of over 8,000 in a day in November, 2020 in Delhi, the numbers are now declining and 121 fresh cases were recorded on February 1, that is, Monday. The high court said, "In view of the January 15 order of Respondent no. 1 (Delhi government), the petitioner's counsel has instructions to withdraw the petition. The petition is disposed of as withdrawn." The court added that this would not preclude the association to make further representation to the government in view of the change in circumstances. As per the government's order, a review meeting was held by the competent authority on January 15.

Amazon, Flipkart, Google, Microsoft, Zoom & other foreign companies to pay 2% extra tax now

New Delhi/February 02

The Confederation of All India Traders (CAIT) has welcome the budget proposal to impose 2% extra tax on foreign e-commerce Companies whether engaged in business of sale of goods or providing services or providing technical services, acceptance of offer for sale, placing of purchase order, acceptance of purchase order, payment of consideration or supply of goods & services partly or wholly . It is also clarified in the budget that it will be applicable for consideration of sale of goods irrespective of whether the provider owns the portal and consideration for provisions of services irrespective of whether services provided or facilitated by e-commerce operators. This provision has been made in the budget by proposing amendments in Section 163 sub clause (3), Section 164 clause (cb) , Section 165 sub section (3) and clause (b) of The Finance Act, 2016 .

These provisions will be applicable retrospectively with effect from 1st April, 2020. Not only Amazon & Flipkart but even Google, Microsoft, Zoom and other such foreign companies who are engaged in sale of goods or providing services through any online mode will come under purview of this provision and they will have to pay 2% extra tax from 1st April, 2020. Its a big and bold step of the Government which is heartily welcome by traders across the Country.

CAIT National President Mr B C Bhartia & Secretary General Mr Praveen Khandelwal while appreciating the move said that the proposal expands the definition of "online sale of goods" and " online provision of services " thereby eliminating all confusions regarding what could be the true definition of e-commerce in India.

Mr Bhartia & Mr Khandelwal said that we welcome the conceptual construct of this provision even as we study the fine print. Given the hookey amazon, walmart etc have played with the laws of the country, including FEMA and FDI, we expect strict compliance of the proposed provision and zero buckling down should lobby organisations like USIBC create a brouhaha. The provision amply reflect the intent of the Government to crack down the unholy business practices of global e-trailers to monopolise and control of Indian e-commerce and retail trade. " Both Mr Bhartia & Mr Khandelwal informed that the introduction of equalization levy was to create a level playing field and to prevent circumvention of tax laws on the digital transactions. As there is a global consensus on bringing a mechanism to tax the digital economy adequately the OECD and UN have been working on the same. Though equalisation levy in India has undergone changes in 2020 from its introduction in 2016 , certain changes have been introduced vide Finance Bill 2021. CAIT welcomed the introduction of equilisation levy before, the changes made in 2020 and also the changes proposed in Finance Bill 2021.

However, we have observed that the provisions need more clarity for which the government should come up with comprehensive FAQS or a circular defining the various terms and explaining the various types of transactions by way of examples. Further, at present not every business person is aware about the the equilisation levy.

-teamcait028@gmail.com

Farmers' protest
Barricaded roads lead to massive snarls in Delhi

Our Correspondent/New Delhi/February 02

Commuters in Delhi continued to have a harrowing time on Tuesday as the police kept several roads heavily barricaded and diverted traffic from many points even as the closure of several border points due to the farmers' protest led to massive snarls on roads around those points. Senior police officers who spoke on condition of anonymity said security was further enhanced in the city in anticipation of trouble by thousands of protesters who are camping on Delhi borders against the three contentious farm laws. On Republic Day, farmers took out a tractor rally, clashed with the police at several points and barged into Red Fort. Massive traffic jams were reported from the eastern, southern and central parts of Delhi which were worsened by the closure of the Ghazipur-Ghaziabad border, Delhi-Meerut expressway, NH-9, and NH-24. The closure of almost all the lanes of NH-24 resulted in bumper-to-bumper traffic on roads in the eastern parts of the city. "Ghazipur border is closed. Traffic diverted from NH 24, NH 9, Road no 56, 57 A, Kondli,Paper Market, Telco T point, EDM Mall, Akshardham and Nizammudin Khatta. Traffic is heavy on Vikas Marg, IP extention, NH 24. Please commute from other borders," the Delhi Traffic Police said on Twitter. The alternative routes on account of the closure of the Ghazipur border included Anand Vihar, Chilla, DND, Apsara, Bhopra and Loni borders. "Singhu, Saboli, Piau Maniyari borders are closed. Auchandi, Lampur, Safiabad, Singhu school and Palla toll tax borders are open.

May have identified cop who shot video of assault during riots : Police to Delhi HC

MM BUREAU

New Delhi/February 02

The Delhi Police on Monday told the Delhi high court that they may have identified the police officer who shot a viral video in which police officers are seen assaulting a few men and forcing them to sing the national anthem during the northeast Delhi riots in the national capital in February last year.

The police, in response to a plea by the man's mother seeking an SIT investigation into the death of her son Faizan due to the alleged assault, have said that they have not been able to identify the police officers in the various videos and CCTV camera footage because they were wearing helmets and did not have nameplates.

The police said that in one of the videos, a person

in uniform is seen holding a tear gas gun and recording a video of the five men being beaten by policemen on his mobile phone.

However, they contended that while the person who was recording the incident was not wearing a helmet, his face was not clear as the footage was distantly shot.

"Policemen who were carrying tear gas guns are being questioned and one has been pinpointed on probable basis.

His mobile phone has been seized and referred to the Forensic Science Laboratory, to get an opinion as to whether the said video was shot from this mobile . The opinion is still awaited. Lie Detector Test, Face Recognition and Voice Sampling of this probable policeman is being conducted through FSL expert," the police said.

In an affidavit filed through the Special Public Prosecutor (SPP) Amit Mahajan, the Delhi Police informed the court that they have examined 170 police officers and their mobile phones.

"Their mobile phone numbers have also been taken on record for technical analysis," the police said.

The police also said that efforts were made to obtain CCTV camera footage from the Public Works Department (PWD) but no CCTV camera was found installed near the scene of crime.

"Furthermore, the CCTV cameras installed by individuals in the area of Kardampuri were either found broken much prior to the incident or their directions were changed. However, CCTV camera footage/video clips available on different social media and other sources as collected by the Cyber Cell of Crime Branch have been taken on record," the probe agency said.

Justice Anu Malhotra asked the police to file an affidavit with information about the lack of CCTV camera functioning along with documents.

The matter wll be now heard on March 15.

In her plea, filed through advocates Vrinda Grover and Soutik Banerjee, Faizan's mother, Kismatun, told the court that he died on February 26 after he was allegedly brutally assaulted by police officers and detained from February 24 to February 25.

The petition sought the constitution of a court-monitored Special Investigation Team (SIT) to conduct a fair and impartial investigation into the alleged custodial death of Faizan.

MOONGIPA SECURITIES LIMITED

CIN : L74899DL1994PLC057941
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh,
New Delhi -110005. Tel: +91-011-41450121
Email : moongipas@gmail.com Website: www.moongipa.net

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For **MOONGIPA SECURITIES LIMITED**

Sd/-

Date : February 02, 2021
Place : Delhi

Sanjeev Jain
Company Secretary & Compliance Officer

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

CIN : L65993DL1987PLC028669
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh,
New Delhi -110005. Ph.: 011-41450121
Email : moongipac@gmail.com Website : www.mongipa.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine Months ended December 31, 2020.

Investor may visit the Websites of the Company www.mongipa.com and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For **MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED**

Sd/-

Date : February 02, 2021
Place : Delhi

Gulshan Ahuja
Company Secretary & Compliance Officer

फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया को मिली जमानत

सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस से बदलसूकी के लिए हुई थी गिरफ्तारी

महालक्ष्मी ब्यूरो

नई दिल्ली, 02 फरवरी

किसानों के आंदोलन के दौरान सिंघु बॉर्डर पर बीते शनिवार को दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया को मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी। पुनिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

रविवार को मनदीप पुनिया को तिहाड़ जेल में ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद मनदीप के वकील ने कहा था कि उनकी तरफ से बचाव पक्ष का वकील भी पेश नहीं हुआ था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, सिंघु बॉर्डर पर शनिवार को पुलिस के साथ बदसलूकी के आरोप में एक फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि पत्रकार समेत कुछ लोग अवरोधकों

को हटाने की कोशिश कर रहे थे। पत्रकार ने पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में मुख्य स्थलों में से एक सिंघु बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय निवासी होने का दावा करने वाले लोगों के एक बड़े समूह के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई थी। हिंसा में दिल्ली के अलीपुर थाने का एक एसएचओ भी घायल हो गया था। घटना के बाद एसएचओ पर हमला करने वाले व्यक्ति सहित कम से कम 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में दो पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मीडिया संस्थानों ने रविवार को आलोचना की थी। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई (पत्रकारों को हिरासत में लेना) स्वतंत्र रिपोर्ट करने के मीडिया के अधिकार में दखलअंदाजी है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया और ऑनलाइन न्यूज इंडिया के धर्मेन्द्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम हिरासत में लिया। हालांकि, धर्मेंद्र सिंह को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन पुनिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। हुड्डा ने ट्वीट कर कहा था, "रोहतक के पत्रकार मनदीप पुनिया को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनदीप को लेकर पुलिस को फौरन स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर नागरिक व प्रेस स्वतंत्रता को कुचलने की कोई भी कोशिश की जाती है तो ऐसे प्रयास देश स्वीकार नहीं करेगा।"

दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्कूल, नर्सरी एडमिशन भी होंगे शुरू

केजरीवाल ने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से मुलाकात में किया ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से बातचीत की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम तुरंत नर्सरी एडमिशन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोविड की वजह से थोड़ी देर हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी स्कूल भी खुल जाएंगे।

केजरीवाल ने कहा कि बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन माता-पिता और शिक्षक चिंतित हैं। चूंकि अब वैक्सीन आ गई है, हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही स्कूल खोल पाएंगे। हम जल्द ही नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसके लिए तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उनकी सरकार ने शिक्षा बजट को 100 प्रतिशत तक बढ़ाकर आज सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना दिया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। सभी को एक समान शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली में कक्षा 9 व 11 के छात्रों के लिए स्कूल 5 फरवरी से खुलेंगे। इस बात का ऐलान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार

को संवाददाता सम्मेलन में किया था। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी 2021 से डिग्री, डिप्लोमा देने वाले शैक्षणिक संस्थान भी खुल सकेंगे। सिसोदिया ने कहा अभी तक 10वीं, 12वीं के जिन छात्रों को स्कूल जाकर कक्षाएं लेने की

> केजरीवाल ने कहा कि बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन माता-पिता और शिक्षक चिंतित हैं। चूंकि अब वैक्सीन आ गई है, हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही स्कूल खोल पाएंगे। हम जल्द ही नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसके लिए तैयारी चल रही है।

अनुमति दी गई है उनमें से 80 फीसदी छात्र नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जिस तरह से 10वीं, 12वीं के लिए स्कूल खोले गए हैं उसी प्रकार से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक व हायर एजुकेशन वाले संस्थान अपने छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क या काउंसलिंग के लिए 5 फरवरी से बुला सकेंगे। बशर्ते कोरोना गाइडलाइंस का उसी प्रकार पालन किया जाए जिस प्रकार से 10वीं ,12वीं के छात्रों को पालन कराया जा रहा है।

यानी इन संस्थानों में भी 10वीं, 12वीं के छात्रों वाले दिशानिर्देश लागू होंगे। सिसोदिया ने आगे कहा था कि दिल्ली में बोर्ड परीक्षाएं या प्री बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू होंगी इस विषय पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

महान क्रांतिकारी जगदेव बाबू याद किये गए

नई दिल्ली, 02 फरवरी

दलितों एवं शोषितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले दूरदर्शी राजनीति के प्रणेता क्रांतिकारी अमर शहीद जगदेव प्रसाद को उनके 100 वे जन्म दिन पर जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.सी.पी. सिंह ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

याद करने वालो में सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री आफाक अहमद खान, विधायक श्री रामेश्वर महतो, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री मिथिलेश प्रसाद समेत भारी संख्या में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने जगदेव बाबू को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष श्री सिंह ने जगदेव बाबू के कार्यों एवं समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक (प्रचार और कार्यक्रम) मोहम्मद निसार, दिल्ली प्रदेश पदाधिकारी श्री श्याम सत्यार्थी, श्री एकनाथ सिंह, श्री राकेश कुशवाहा, राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार (युवा) श्री अर्जुन देशप्रेमी, श्रीमती रिंकू कुमारी, श्रीमती मालती राय, श्री नागेंद्र, श्री अजय कुमार, श्री बी.के. शाही, श्री रंजन कुमार, श्री ओमप्रकाश, श्री सोहन सिंह, सुश्री पिंकी राजपूत, सुश्री स्तुति दुबे, श्री नन्द झा, श्री शैलेन्द्र कुमार आदि समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे इसकी जानकारी जनता दल (यूनाइटेड) राष्ट्रीय कार्यालय सह सचिव श्री आशीष रंजन सिंह ने दिया ।

-आशीष रंजन सिंह, राष्ट्रीय कार्यालय सह सचिव

jducentraloffice@gmail.com

टिकरी बॉर्डर पर बुजुर्ग दादी के साथ महिलाओं ने संभाली लंगर की कमान

नई दिल्ली, 02 फरवरी (ह.स.)

राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी हैं। पिछले एक महीने में आंदोलन स्थल पर दो 90 वर्षीय बुजुर्ग महिलाएं डेरा डाले हुए हैं। शनिवार को दोनों बुजुर्ग महिलाओं के गांव की महिलाएं उनका साथ देने के लिए बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचीं तो दोनों बुजुर्ग दादियों ने उनके साथ मुख्य मंच के पास चल रहे लंगर में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दीं और लंगर में खाना बनाने की कमान संभाल ली। हरियाणा से आई ये

महिलाएं अपने गांव की बुजुर्ग महिलाओं के साथ कृषि कानूनों को वापस लेने तक यहां रुकने की बात कह रही हैं।

हरियाणा के कबूलपुर गांव में रहने वाली शांति और बीना देवी पिछले एक माह से टिकरी बॉर्डर पर रुकी हुई है। शांति और बीना देवी का कहना है कि उनके बच्चे अपनी जमीन बचाने के लिए दो माह से सड़क पर बैठे हैं। सरकार उनकी नहीं सुन रहीं है, ऐसे में वह भी गांव में रहकर क्या करतीं। वह भी बच्चों के साथ सड़क पर बैठने आ गईं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बच्चे तैयार न थे, लेकिन हमनें अपनी जिंदगी खेतों में निकाली है। अपनी जमीन को अपनी मां माना हैं और मां को कैसे किसी और के हाथों में जाने देंगे। इसलिए हम अपनी जमीने बचाने के लिए निकले हैं। जेएसओ के अत्तर सिंह कादयान ने बताया कि कबूलपुर और बेरी गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में धरनास्थल पर पहुंची हुई हैं। जींद, रोहतक, झज्जर से महिलाओं का आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आंदोलन की जगह पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में रहेंगी। इसके साथ ही युवाओं की भागीदारी बढाई जा रही है।

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 2% अतिरिक्त कर का स्वागत

नई दिल्ली, 02 फरवरी

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 2% अतिरिक्त कर लगाने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसके जरिए चाहे वह माल की बिक्री के कारोबार में लगे हों या सेवाएं अथवा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहे हों, बिक्री के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हों, या खरीद के आदेश, खरीद आदेश की स्वीकृति हो, या फिर माल और सेवाओं की आपूर्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान यदि ई विदेशी कॉमर्स कम्पनियों द्वारा किया जाता है तो उस पर अब इन ई कॉमर्स कम्पनियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा ।

बजट प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान माल की बिक्री पर पर भी लागू होगा फिर चाहे प्रदाता ई-कॉमर्स पोर्टल का मालिक ही क्यों न हो। इसके अलावा ई कॉमर्स के जरिए सेवाओं के प्रावधानों पर भी ये लागू होगा बावजूद इसके की सेवा प्रदाता खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हो।

इस प्रावधान को बजट में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 उप खंड (3), धारा 164 खंड (सीबी), धारा 165 उप खंड (3) और खंड (ख) में संशोधन का प्रस्ताव करके बनाया गया है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2020 की पिछली तारीख से लागू होंगे। केवल अमेजॅन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य ऐसी विदेशी कंपनियां, जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से सामानों की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं, इस प्रावधान के दायरे में आएंगी। और उन्हें 1 अप्रैल, 2020 से 2% अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। सरकार का यह एक बड़ा और साहसिक कदम है, जिसका देश भर के व्यापारियों ने हार्दिक स्वागत किया है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि प्रस्ताव रमाल की ऑनलाइन बिक्रीर और रसेवाओं के ऑनलाइन प्रावधानर की परिभाषा का विस्तार करता है, ई कॉमर्स को लेकर सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और ये भारत मे ई कॉमर्स को नई सिरे से परिभाषित करेगा।

श्री भरतिया एवम श्री खंडेलवाल ने कहा कि हम इस प्रावधान का स्वागत करते हैं। अमेजन, वॉलमार्ट आदि ने देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें फेमा और एफडीआई पॉलिसी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी शामिल है, हमें उम्मीद है कि प्रस्तावित प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन होगा और यूएसबीसी जैसे लॉबी संगठनों के भारत के आंतरिक मामलों में दखल को रोका जा सकेगा। यह प्रावधान भारतीय ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार के एकाधिकार और नियंत्रण के लिए वैश्विक ई-कॉमर्स कम्पनियों की गलत व्यावसायिक प्रथाओं को खत्म करने के सरकार के इरादे को साफ तौर पर दर्शाता है।

श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने संयुक्त बयान में बताया कि समान लेवी की शुरूआत एक स्तर पर व्यापार के लिए समान मैदान मुहैया कराने और डिजिटल लेनदेन पर कर कानूनों की परिधि को रोकने के लिए किया गया था।

जैसा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार करने के लिए और एक तंत्र लाने पर वैश्विक सहमति से ओईसीडी और संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार प्रयासरत रहे हैं। हालाँकि भारत में समान लेवी की प्रक्रिया में 2016 के अपने प्रारंभिक स्वरूप से 2020 में कुछ बदलाव हुए है, और अब वित्त विधेयक 2021 में कुछ और बदलावों को जोड़ा गया हैं।

कैट ने पहले समतुल्य लेवी की शुरूआत, 2020 में किए गए बदलावों और वित्त विधेयक 2021 में प्रस्तावित परिवर्तनों का भी स्वागत किया।

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की इन प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार को एक व्यापक परिपत्र जारी करना चाहिए जिसके करिए विभिन्न शब्दों और उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेनदेन की व्याख्या करना आवश्यक है। इसके अलावा, वर्तमान में हर कारोबारी व्यक्ति को लेवी के समीकरण के बारे में पता नहीं है। इसलिए, हम सरकार को विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस लेवी के बारे में विज्ञापन देने का सुझाव देंगे, क्योंकि अधिक से अधिक व्यक्ति ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं,पर व्यापारियों या पेशेवरों को इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है ।

-teamcait028@gmail.com

किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड

नई दिल्ली, 02 फरवरी (ह.स.)

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर ट्विटर ने 250 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इन अकाउंट पर फर्जी और भड़काने वाले वाले ट्वीट्स व हैशटैग चलाने का आरोप हैं। इसके पहले गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के दौरान के बाद ट्विटर ने 550 से अकाउंट सस्पेंड किया था। ट्विटर ने अपनी नीतियों के उल्लंघन के बाद यह

फैसला लिया था। लेकिन अब भारत सरकार के आदेश में यह कार्रवाई की है।

इन अकाउंट्स से सरकार विरोधी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी कंटेंट को हैशटैक के साथ चलाया जा रहा था। सरकार ने यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की अपील के बाद लिया है। अपील में कहा गया था कि ये अकाउंट हालात बिगाड़ सकते हैं और दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। ये अकाउंट्स 30 जनवरी को गलत और भड़काने वाले ट्वीट्स कर रहे थे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इन काउंट्स से हो रहे ट्वीट को लेकर ट्वीटर को नोटिस भेजा था। केंद्र सरकार के नोटिस के बाद ट्विटर ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि इन अकाउंट के कई हैशटैग के साथ चलाए गए ट्वीट्स शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। आईटी मंत्रालय ने ने इन ट्विटर अकाउंट्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69अ के तहत ब्लॉक करने को कहा था। इन अकाउंट्स को बंद किए जाने के बाद ट्विटर ऐसे और संदिग्ध अकाउंट्स की तलाश में है जो भ्रामक और उकसाने वाले ट्वीट्स कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है उन्हें खोलने पर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि सरकार की तरफ से कानून अपील के बाद इस अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक ट्विटर संबंधित देश के कानून के हिसाब से अकाउंट्स ब्लॉक कर सकता है। ट्विटर का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ट्विटर पूरी पारदर्शिता से काम करता है लेकिन सरकार की तरफ से कानूनी अपील और वाजिब कारणों की दलील पर अकाउंट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं।

ट्रैक्टर रैली हिंसा : पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज

महालक्ष्मी ब्यूरो

नई दिल्ली, 02 फरवरी

ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को नियंत्रित करने और इंटेलिजेंस की विफलता के आरोप में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड में लाल किला सहित राजधानी के हिस्सों में हिंसा हुई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है। पीठ ने कहा कि जांचकर्ताओं को कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वे कुछ नतीजों पर पहुंच सकें। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन द्वादिल्ली सिटिजन फॉरम

फॉर सिविल राइट्स के अध्यक्ष व अधवक्ता जोगिंदर तुली की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा था कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सभी देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा से लोगों में भय व्याप्त हो गया।

याचिका में इस हिंसा के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस विफलता को जिम्मेदार ठहराया था। याचिका में कहा गया था कि करीब दो माह से चल रहे किसानों के आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को एक हजार ट्रैक्टर को परेड की इजाजत दे दी थी। साथ ही कहा कि जबकि हर जगह यह खबर चल रही थी कि दिल्ली की सीमाओं पर 50 हजार से अधिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। याचिका में कहा गया था कि 26 जनवरी की सुबह 7 बजे ही कुछ चैनलों पर यह खबर आई की किसानों के एक गुट ट्रैक्टर परेड 12 बजे के बजाए अभी से शुर कर दिया।

अधिवक्ता तुली ने याचिका में कहा था कि इतनी सूचनाएं होने के बाद भी दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ने समय रहते कदम नहीं उठाया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की विफलता के कारण ही हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में लाल किला तक घूस आए और वहां पर न सिर्फ उपद्रव मचाया बल्कि धार्मिक झंडे को भी फहराया। याचिका में इसके लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही, इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अधिकारियों की इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई थी। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अब तक आंदोलन से जुड़े 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी है। कानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की ओर से अधिवक्ता अशिमा मंडल और मंदाकिनी सिंह द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना नहीं देना संविधान का अनुच्छेद 14, 21 व 22 का उल्लंघन है। याचिका में दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लेने की जानकारी उनके परिजनों को नहीं दी गई है। साथ ही कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उनमें भी कोई कानूनी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। यह दलील देते हुए याचिका में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा करने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने 200 से अधिक लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है। याचिका में 15 लोगों का नाम भी दिया है जो 26 जनवरी या उसके बाद से लापता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस मामले में कई प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को 24 घंटे के भीतर न तो संबंधित अदालत में पेश किया गया है और न ही उनके परिजनों को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है।

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड

CIN: L74899DL1994PLC057941

पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन : +91-011-41450121

ई-मेल moongipas@gmail.com वेबसाइट : www.moongipa.net

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 11 फरवरी 2021 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के स्वतंत्र अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।

निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.moongipa.net और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड

हस्ता/-

संजीव जैन

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 02 फरवरी, 2021

स्थान : दिल्ली

मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड

CIN: L65993DL1987PLC028669

पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन : 011-41450121

ई-मेल moongipac@gmail.com वेबसाइट : www.mongipa.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 11 फरवरी 2021 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के स्वतंत्र अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।

निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.mongipa.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड

हस्ता/-

गुलशन आहूजा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 02 फरवरी, 2021

स्थान : दिल्ली